भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2665
जिसका उत्तर बुधवार, 10 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

कार विनिर्माताओं की सुरक्षा संबंधी खराबियों की निगरानी

2665. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की कारों में उत्सर्जन मानकों और अन्य विनिर्माण संबंधी खराबियों हेतु उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार के पास खराब वाहनों अथवा उनके मानकीकरण के संबंध में कोई विधिक अवसंरचना नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कार विनिर्माताओं की सुरक्षा संबंधी खराबियों की कड़ी निगरानी करने के लिए एक विनियामक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, नहीं। भारी उद्योग विभाग को कारों में उत्सर्जन मानकों और अन्य विनिर्माण संबंधी खराबियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान विनियम, 1989 भारत में वाहनों के उत्पादन और उनकी बिक्री से पूर्व वाहनों के प्रमाणन और परीक्षण को तथा सार्वजनिक सड़कों पर चलाए जाने के लिए उनके पंजीकरण/अनुमति को भी नियंत्रित करते हैं।

(घ): उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****